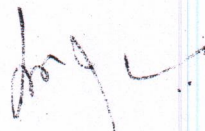


गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल के प्रशासकीय परिषद की दिनांक 13.12.2016 को सम्पन्न हुई 24 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल के प्रशासकीय परिषद की 24 वी बैठक दिनांक 13.12.2016 को को प्रातः 11.00 बजे आई.आर. डी.टी, सर्वे चौक देहरादून में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | |
|---|-----------|
| 1. माननीय श्री यशपाल आर्य,
मंत्री, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून। | अध्यक्ष |
| 2. श्री डी. सेंथिल पांडियन, आईएसएस,
सचिव, तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। | उपाध्यक्ष |
| 3. प्रो. पी.के. गर्ग,
कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी
विश्वविद्यालय, देहरादून। | सदस्य |
| 4. प्रो. आर. के सिंह,
निदेशक, वि.त्रि. कुमायूँ इंस्टीट्यूट ऑफ
टैक्नोलौजी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा | सदस्य |
| 5. प्रो. एम.एल. कोठारी,
प्रोफेसर एमिरेटस,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली | सदस्य |
| 6. प्रो. ए.क्यू. अंसारी
जामिया मिलिया विश्वविद्यालय
नई दिल्ली | सदस्य |
| 7. डा. मनोज कुमार पाण्डा
जी. बी. पंत इंजीनियरिंग कालेज,
घुड़दौड़ी। | सदस्य |



8. श्री आर.पी. गुप्ता
संयुक्त निदेशक,
तकनीकी शिक्षा, देहरादून।

सदस्य

9. श्री महेश कौशिवा,
अपर सचिव, न्याय विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आमंत्रित सदस्य

10. श्री प्रकाश पालीवाल,
अनुभाग अधिकारी,
तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

आमंत्रित सदस्य

11. प्रो. सत्यप्रकाश पाण्डेय,
प्राचार्य,
जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कालेज,
घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।

सदस्य सचिव

बैठक में निम्न सदस्य प्रतिभाग नहीं कर सके।

1. निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
रुड़की।

सदस्य

2. श्री मनोज कुमार,
महा प्रबन्धक, बी.ई.एल.
कोटद्वार।

सदस्य

3. प्रो. एस. एन सिंह,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर।

सदस्य

4. सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

सदस्य

कालेज के प्रशासकीय परिषद की बैठक में प्राचार्य/सदस्य सचिव द्वारा प्रशासकीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य, श्री डी. सेंथिल पांडियन, उपाध्यक्ष एवं प्रो. पी.के. गर्ग, कुलपति तकनीकी वि.विद्यालय सहित समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त प्रशासकीय परिषद द्वारा कार्यसूची पर विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

24.01 प्रशासकीय परिषद के अध्यक्ष एवं नये सदस्यों का स्वागत।

सदस्य सचिव द्वारा प्रशासकीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य एवं नये सदस्यों प्रो. एम.एल. कोठारी व प्रो. ए.क्यू. अंसारी का स्वागत किया गया एवं परिषद के अन्य सदस्यों से नये सदस्यों का परिचय कराया गया।

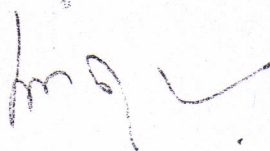
24.02 प्रशासकीय परिषद की दिनांक 19.11.2016 को सम्पन्न हुई 23वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

24.03 प्रशासकीय परिषद की 23 वी बैठक के बिन्दु संख्या 23.01 में वर्णित प्रकरण पर विचार एवं निर्णय।

प्रशासकीय परिषद की 23वीं बैठक के बिन्दु सं० 23.01 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में विज्ञापन सं० 01/फैकल्टी/2013-14 दिनांक 08.06.2013 के क्रम में हुये साक्षात्कार समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के पैनल पर इस बैठक में चर्चा नहीं हो पायी अतः इसका निर्णय प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक में करने का निर्णय लिया गया।

24.04 कालेज की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 19.11.2016 को सम्पन्न हुई 23वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

23वीं एवं 24वीं बैठक के मध्य अल्प अवधि होने के कारण, 23वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का पुष्टिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। परिषद द्वारा सदस्य सचिव को यह निर्देशित किया कि 23वीं बैठक की कृत कार्यवाही का पुष्टिकरण आगामी प्रशासकीय परिषद की बैठक में करा लिया जाय।



24.05 कालेज में नवीन पाठ्यक्रमों के आरम्भ किये जाने एवं वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में बृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

(a) वर्ष 2017-18 से नये एम. टेक. पाठ्यक्रमों को आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव।

1. सिविल इंजीनियरिंग विभाग में एम.टेक (इन्फ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग) को वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर, समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विभाग में कोई भी प्रोफेसर नहीं है। अतः प्रोफेसर को नियुक्त करने का प्रयास किये जायें तदोपरान्त इसको प्रशासकीय परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
2. विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में एम.टेक कन्ट्रोल एण्ड इन्सट्रुमेन्टेशन इंजीनियरिंग को वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर, समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विभाग में कोई भी प्रोफेसर नहीं है। अतः प्रोफेसर को नियुक्त करने का प्रयास किये जायें तदोपरान्त इसको प्रशासकीय परिषद की अगली बैठक में रखा जाय। इसके अतिरिक्त प्रायः यह देखा गया है कि कन्ट्रोल सिस्टम के छात्रों का प्लेसमेण्ट का स्कोप (Scope) ज्यादा नहीं है। परिषद द्वारा प्राचार्य को यह सुझाव दिया कि वह किसी अन्य विषय के पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने व्यवहारिकता का अध्ययन करायें।

(b) पुराने पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव।

बी. टेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की प्रवेश क्षमता 15 से बढ़ाकर 60 सीटें करने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि बी.टेक प्रोडक्शन को मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग संचालित करता है। अतः मैकेनिकल इंजी. विभाग के, मैकेनिकल इंजी. एवं प्रोडक्शन इंजी. दो भाग होने चाहिए। उसके बाद ही इस प्रस्ताव को अगली प्रशासकीय परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त दोनों विभागों में सीनियर फैकल्टी को नियुक्त करने के प्रयास किये जायें।

24.06 विज्ञापन संख्या 01/फैकल्टी/एडमिन/2015 दिनांक 01.07.2015 पर विचार एवं निर्णय।

मा. समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि एक नया विज्ञापन, जोकि सह-आचार्य एवं आचार्य के लिए हो, प्रकाशित किया जाय। इसके अतिरिक्त उसी विज्ञापन में विजिटिंग प्रोफेसरों को नियुक्त करने के लिए भी विज्ञापित जारी की जाय। विज्ञापन संख्या 01/फैकल्टी/एडमिन/2015 दिनांक 01.07.2015 को पुनर्स्थापित (reinstate) किये जाने हेतु माननीय परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

24.07 कालेज में पी.पी.पी. मोड में को-ओपरेटिव स्टोर संचालित करने के विषय पर विचार एवं निर्णय।

माननीय परिषद् द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम देहरादून की एक नई यूनिट कालेज में स्थापित करने के लिए सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को एक प्रस्ताव भेजा जाय।

24.08 कालेज में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु चिकित्सा सुविधा देने के विषय पर विचार एवं निर्णय।

कालेज में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान में शासन द्वारा कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि कालेज के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें कालेज की आय से निस्तारित किये जायें परन्तु इन दावों की प्रतिपूर्ति उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा विभाग एवं वित्त विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप ही होगी।

इसके अतिरिक्त माननीय परिषद् द्वारा यह भी कहा गया कि इसके लिए जरूरी वित्तीय स्वीकृति कालेज की वित्त समिति की बैठकों में ली जाय।

24.09 विनियमितिकरण 2013 लागू करने के संबंध में।

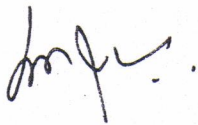
विनियमितिकरण 2013 लागू करने के संबंध में समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यह उत्तराखण्ड शासन द्वारा ही किया जायेगा।

24.10 ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेण्ट सेल देहरादून में खोले जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

कालेज के छात्र-छात्राओं के लिये प्लेसमेण्ट कार्यालय देहरादून में खोले जाने हेतु माननीय परिषद द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेण्ट सेल देहरादून में खोला जाय, जोकि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेण्ट सेल के साथ संचालित होगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा यह भी कहा गया कि कालेज में एक Entrepreneur Development Cell की स्थापना की जाय।

24.11 माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

परिषद् द्वारा सदस्य सचिव को यह निर्देशित किया कि वह कालेज के अगले पांच साल का एक्शन प्लान प्रशासकीय परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करे।



(डा० सत्य प्रकाश पाण्डे)

सदस्य सचिव

(डी. सेंथिल पांडियन)

उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(यशपाल आर्या)

अध्यक्ष

प्रशासकीय परिषद्

गो० ब० पंत इंजीनियरिंग कालेज
पौड़ी गढ़वाल।

एवं

मा० मंत्री तकनीकी शिक्षा

उत्तराखण्ड सरकार



G B PANT ENGINEERING COLLEGE
PAURI GARHWAL UTTARAKHAND-246194
 (An Autonomous Institute of Government of Uttarakhand)

Ref. No.: Pr.off./GBPEC/2108 /2016

Date: 23.11.2016

To,

The Principal Secretary,
 Technical Education,
 Govt. of Uttarakhand,
 Dehradun.

Sir,

As per your instruction, the proposed panel of experts of different subjects for the purpose of faculty selection is enclosed herewith for your kind approval.

I request to kindly approve the proposed panel so that required selection of faculty can be done to full-fill the desired faculty cadre ratio as per AICTE norms.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Dr. Satya Prakash Pandey)
 Principal

Encl : As above.

प्रति,
 23/11/16

23/11/16

कैम्प कार्यालय,
 प्रमुख सचिव, पूरी गढ़वाल
 ताराखण्ड शासन
 सचिव के हस्ताक्षर _____
 तारीख _____